Case No. 130/2022

10/05/2025

प्रकरण आज दिनांक 10/05/2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ कमांक 04 में प्रस्तुत।

परिवादी म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिवक्ता श्री फरीद शेख ने उपस्थित होकर राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम प्रस्तुत करते हुए एक अन्य आवेदन पत्र प्रकरण के शीघ्र सुनवाई में लिये जाने बाबद प्रस्तुत किया।

परिवादी द्वारा अभिभाषक श्री फरीद शेख।

आरोपी भामसिंह स्वयं उपस्थित। शेष आरोपी दयाबाई अनुपस्थित।

प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री फरीद शेख द्वारा धारा 135-क विद्युत अधिनियम का परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और आज राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश

भामसिंह

GCPB—185—DCGCPB—20-8-24—5,00,000.

Order Sheet [Contd]

Case No. SCELC/130/2022 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी में आरोपी द्वारा विद्युत चोरी की संपूर्ण राशि मय शमन शुल्क एवं राजीनामा शुल्क के जमा कर दिया गया है, अब परिवादी को आरोपी से कोई राशि लेना शेष नहीं है। प्रकरण में राजीनामा हो चुका है, इसलिए प्रकरण चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।	
	परिवादी को सुना गया। राजीनामा सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वेच्छयापूर्वक किया जाना दर्शित होता है और आरोपी का प्रथम अपराध होकर पूर्व में आरोपी के किसी मामले का प्रशमन होना नहीं बताया गया है।	
	अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर **आरोपीगण भामसिंह पिता कहारिया बारेला, आयु 30 वर्ष व दयाबाई पति कहारिया बारेला, आयु 52 वर्ष दोनों निवासी ग्राम रोसर बाजार फल्या, थाना पाटी, तहसील पाटी, जिला बड़वानी, म.प्र.** को धारा 135—क विद्युत अधिनियम 2003 के अभियोग से **उन्मोचित** किया जाता है, जिसका प्रभाव दोषमुक्ति होगा।	भामसिंग
	आरोपीगण के विरूद्ध यदि समंस/जमानतीय/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो अदम तामील वापस बुलाया जाए।	
	प्रकरण में पूर्व में नियत पेशी दिनांक 24/06/2025 निरस्त की जाती है।	
	प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति जप्त नहीं है।	
	प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।	
	(जी.के. मधुकर) अधिवक्ता, सुलहकर्ता सदस्य लोक अदालत, खंडपीठ क्रमांक—04 जिला बड़वानी, म.प्र.	
	10/3/25 (मानवेन्द्र पवार) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खंडपीठ क्रमांक—04, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि.2003), जिला बडवानी, म.प्र.	